

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

संख्या— 5 / श्रम स्था० (2)–19 / 2015

पटना, दिनांक—

सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक –07–सूप्रा०–16/2014–678 दिनांक 07.05.2015 के आलोक में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसरंचना संरक्षण केन्द्र (National Critical Information Infrastructure Protection Centre) भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग को Critical Information Security Officer (CISO) के रूप में घोषित किए जाने के फलस्वरूप उनके सहयोग हेतु श्री अशोक कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी को श्रम संसाधन विभाग का नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

हो/-

(अमरेन्द्र नारायण मिश्र)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक— 5 / श्रम स्था० (2)–19 / 2015

पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि—सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 678 दिनांक 07.5.15 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक— 5 / श्रम स्था० (2)–19 / 2015 • 1805

पटना, दिनांक— 02.07.2015

प्रतिलिपि— सचिव के आप्त सचिव/अवर सचिव, श्रम संसाधन/ श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण /निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना/ अपर सचिव/उप सचिव/ श्री अशोक कुमार सिंह, विशेष कार्य पदाधिकारी/ सभी प्रशास्त्रा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अमरेन्द्र नारायण मिश्र^{2/7/15}
सरकार के अवर सचिव
२०१५